


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज अपील संख्या 185/20 बदले बनाम राज0 सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये
28.8.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित नहीं और ना ही उनकी ओर से कोई वकील अथवा प्रतिनिधि उपस्थित आये। अपीलान्टस को कई बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जहिर है कि यह पत्रावली भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के पत्रांक 834 दिनांक 8.1.2020 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस न्यायालय में नियमानुसार पत्रावली दर्ज कर विचाराधीन रही। दिनांक 9.9.20 से 25.7.2023 तक वकील अपीलान्ट प्रकरण में निरन्तर उपस्थित रहे है और बहस हेतु समय चाहते रहे है। अचानक गतादेशिका दिनांक 25.7.2023 की रोशनी में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में पैरवी से इन्कार करते हुये कोई सूचना अथवा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट की कोताही से किसी हितबद्ध पक्षकार के हित प्रभावित न हो इसी न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की न्यायिक मंशा के मध्यनजर अपीलान्टस को कार्यालय स्तर से रजिस्टर्ड नोटिस क्रमांक 702 दिनांक 31.7.2023 जारी किये गये। किन्तु अपीलान्टस नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आये। इस प्रकरण को न्यायालय हाजा में दर्ज हुये लगभग 3-4 साल का एक लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका और अचानक दिनांक 25.7.2023 को उनके वकील के द्वारा पैरवी से इन्कार किया गया। इस पर कार्यालय स्तर से उनको नोटिस भी जारी किये गये। स्वयं आदालत हाजा द्वारा काफी प्रयास किये जाने के उपरान्त भी अपीलान्टस का नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आना, अपीलान्टस की ओर से या उनके वकील के द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु दायित्वों का निर्भहन नहीं करना अपीलान्टस की अपील को आगे नहीं चलाये जाने की मंशा को जाहिर करता है। जबकि यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि अपने वाद को सिद्ध करने का पूर्ण-रूपेण दायित्व वादी का ही रहता है। आज भी अपीलान्ट को कई बार, बार-बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। उनका नियत दिनांक को बाबजूद सूचना उपस्थित न होना लम्बे समय से प्रकरण में कोई विधिवत पैरवी नहीं किया जाना उनकी प्रकरण को आगे न चलाये जाने की मंशा को दर्शाता है लिहाजा यह अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।</p>	


 संभागीय आयुक्त
 भरतपुर